न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–04/2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ़(मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम), अनूपगढ़

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णयः–

दिनांकः–17.07.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–22.10.2024 को **रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टॉफ**, अनूपगढ स्थित फर्म/होटल **मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम** पर पहुँचें। जांच के दौरान **मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम, अनूपगढ़** पर **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। **श्री भरतदास स्वामी** की उपस्थिति में फर्म **मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम** की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर मिठाई बनान व बेचने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए **मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम, अनूपगढ़** पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। जो कि भट्टी/चुल्हे से जुड़ा नही थे। उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

श्री भरतदास स्वामी ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने के व्यावसायिक कार्य किया जाना बताया। **श्री भरतदास स्वामी** द्वारा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री भरतदास स्वामी** के पास नही मिला।

फर्म **मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम, अनूपगढ़** पर पाये गये 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक विजय कुमार पुत्र श्री कालूराम उम्र 42 वर्ष चक 8 ए तहसील अनूपगढ़ आधार सं.–981354088790 मो.नं.–8696262939 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती, मौका नजरी नक्शा एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ फर्म मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम अनूपगढ़** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख) (ग),4(1) (क)(ग) (2),6व7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चुघ उपस्थित आये एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि मद सं.–01 रिकॉर्ड

का विषयवस्तु है। मद सं.–02 जिस प्रकार से दर्ज की गई है अस्वीकार है इसके साथ यह भी दर्ज किया गया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी भरतदास स्वामी का मिठाई बनाने का कारखाना तथा रिहायशी मकान एक ही परिवार है जिसमें उसमें खुद का परिवार व ताउ श्री दुलदास जी का परिवार निवास करते है। मद सं.–3 अस्वीकार है। यहां यह भी दर्ज किया जाना उचित है की उक्त कारखाने में मिठाई बनाने के लिए भट्टीयॉ बायॅलर(पानी की वाष्प) से चलती है एवं उसी पर मिठाईयॉ तैयार की जाती है क्योंकि बायॅलर भट्टी एलपीजी गैस की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। व्यवसायिक एलपीजी का कनैक्शन लिया हुआ है। अतिरिक्त रूप से जरूरत होने पर गैस भट्टी का प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त रू‌प से जरूरत होने पर गैस भट्टी का प्रयोग किया जाता है उक्त तीनों गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के घर में प्रयोग कर रिफील करवाने हेतु खाली रखे हुए थे। जिसमें एक कनैक्शन अप्रार्थी के ताउ श्री दुलदास स्वामी पुत्र श्री फूसदास स्वामी उपभोक्ता क्रमांक 9580 (दो सिलेण्डर) कार्ड क्रमांक 9154 कार्ड संख्या 4211648 एक सिलेण्डर रिफील भरवाने के लिए रखे हुए थे क्योंकि पड़ौसी भंवरलाल घर पर नहीं होता इस कारण वो रिफील करवाने के लिए मुझे ही दे गया था की जब भी गैस सिलेण्डर की गाड़ी आए मेरा भी रिफील करवा देना। परिवाद में स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट है की सिलेण्डर में गैस नहीं थी खाली थे व भट्टी से जुड़े हुए नहीं थे। परिवाद पत्र की मद सं.–4 अस्वीकार है। अप्रार्थी के यहां मिठाईया पानी की वाष्प से चलने वाले बॉयलर से भट्टी चलाकर तैयार की जाती है जिसमें एलपीजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मद सं.–5 रिकॉर्ड की विषयवस्तु है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा घरेलू गैस कनैक्शन के खाली सिलेण्डर जो रिफील करवाने के लिए रखे हुए थे को राजसात नहीं किया जावें व अप्रार्थी को लौटाये जावे व परिवाद को निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ फर्म–मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम अनूपगढ़** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज स्वामी निवासी वार्ड नं.–01 अनूपगढ फर्म मुनीदास भागीरथ स्वीट्स गोदाम अनूपगढ़** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ